

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्- लखीसराय, बाढ़, अरवल एवं दानापुर।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मुरलीगंज।

पटना, दिनांक- 27-3-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹307.57571 लाख (तीन करोड़ सात लाख संतावन हजार पाँच सौ एकहत्तर रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹307.57571 लाख (तीन करोड़ सात लाख संतावन हजार पाँच सौ एकहत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-159 दिनांक-27-3-18 के आलोक में तत्काल कुल ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 30 में दशरथ टोला से आई०ओ०सी० गेट तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	58.73800	45.76000	12.97800
योग (क)			58.73800	45.76000	12.97800
2	नगर परिषद्, लखीसराय	लखीसराय नगर परिषद् के अन्तर्गत वार्ड सं०- 06 में पदार्थ साव से लेकर जवाहर मंडल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण।	20.84000	10.42000	10.42000
3	नगर परिषद्, बाढ़	नगर परिषद्, बाढ़ में उमानाथ मंदिर से बनारसी घाट तक नाला निर्माण कार्य।	43.92762	21.96381	21.96381

4	नगर परिषद्, अरवल	Construction of R.C.C Drain form SP Awas se uttar durga ashthan hote hue westson nadi tak.	49.92044	24.96022	24.96022
5		Construction of R.C.C Drain form Quyum ansari ke ghar se faridabad Gabra tak and Uttarwasi ke ghar se nat mahlla hote huye son nadi tak.	40.57265	20.28633	20.28633
6	नगर परिषद्, दानापुर	वार्ड सं०- 37 के अधीन सर्वोदय नगर (बैंक कॉलोनी) में डॉ० पल्लवी सिन्हा के मकान से श्री राम दर्शन तिवारी के मकान होते हुए किशोरी बसंती भवन तक भू-गर्भ नाला (ह्यूम पाईप एवं चेम्बर युक्त) का निर्माण कार्य।	17.16500	8.58250	8.58250
योग (ख)			172.42571	86.21286	86.21286
7	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 09 में जयरामपुर चौक से हरिद्वार चौक तक नाला निर्माण कार्य।	26.54300	13.27150	13.27150
8		वार्ड नं०- 01 में बैगा नदी से मो० समसुल के घर तक नाला निर्माण कार्य।	49.86900	24.93450	24.93450
योग (ग)			76.41200	38.20600	38.20600
कुल योग (क+ख+ग)			307.57571	170.17886	137.39686

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र।

- क्रमांक- 1 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2 तथा क्रमांक- 2 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, लखीसराय द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।
- आवंटित कुल ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।
- चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृतिदेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त आवंटित राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 1 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹45.76 लाख (पैंतालीस लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- **48-2215021910102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

(ख) आवंटित राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 2 से 6 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹82.21286 लाख (पैंतालीस लाख छिहत्तर हजार रु०) की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215027890101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) आवंटित राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 7 एवं 8 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹38.20600 लाख (अड़तीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(Handwritten signature)

(i) क्रमांक- 1 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2 तथा क्रमांक- 2 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, लखीसराय द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।


(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 160 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27-3-18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना- 2 एवं लखीसराय/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 159

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-27-3-18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण की कुल ₹307.57571 लाख (तीन करोड़ सात लाख संतावन हजार पाँच सौ एकहत्तर रु०) मात्र की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु विभिन्न नगर निकायों से प्राप्त निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹307.57571 लाख (तीन करोड़ सात लाख संतावन हजार पाँच सौ एकहत्तर रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र की स्वीकृति नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 30 में दशरथ टोला से आई०ओ०सी० गेट तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	58.73800	45.76000	12.97800
योग (क)			58.73800	45.76000	12.97800
2	नगर परिषद, लखीसराय	लखिसराय नगर परिषद के अन्तर्गत वार्ड सं०- 06 में पदार्थ साव से लेकर जवाहर मंडल तक आर०सी०सी० नाला निर्माण।	20.84000	10.42000	10.42000
3	नगर परिषद, बाढ़	नगर परिषद, बाढ़ में उमानाथ मंदिर से बनारसी घाट तक नाला निर्माण कार्य।	43.92762	21.96381	21.96381
4	नगर परिषद, अरवल	Construction of R.C.C Drain form SP Awas se uttar durga ashthan hote hue westson nadi tak.	49.92044	24.96022	24.96022
5		Construction of R.C.C Drain form Quyum ansari ke ghar se faridabad Gabra tak and Uttarwasi ke ghar se nat mahlla hote huye son nadi tak.	40.57265	20.28633	20.28633

4

6	नगर परिषद्, दानापुर	वार्ड सं०- 37 के अधीन सर्वोदय नगर (बैंक कॉलोनी) में डॉ० पल्लवी सिन्हा के मकान से श्री राम दर्शन तिवारी के मकान होते हुए किशोरी बसंती भवन तक भू-गर्भ नाला (ह्यूम पाईप एवं चेम्बर युक्त) का निर्माण कार्य।	17.16500	8.58250	8.58250
योग (ख)			172.42571	86.21286	86.21286
7	नगर पंचायत, मुरलीगंज	वार्ड नं०- 09 में जयरामपुर चौक से हरिद्वार चौक तक नाला निर्माण कार्य।	26.54300	13.27150	13.27150
8		वार्ड नं०- 01 में बैंगा नदी से मो० समसुल के घर तक नाला निर्माण कार्य।	49.86900	24.93450	24.93450
योग (ग)			76.41200	38.20600	38.20600
कुल योग (क+ख+ग)			307.57571	170.17886	137.39686

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. क्रमांक- 1 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2 तथा क्रमांक- 2 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, लखीसराय द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।

2. स्वीकृत कुल ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना तथा कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं संबंधित नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 1 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹45.76 लाख (पैंतालीस लाख छिहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- **48-2215021910102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

(ख) स्वीकृत राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 2 से 6 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹82.21286 लाख (पैंतालीस लाख छिहत्तर हजार रु०) की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष- 2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215027890101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) स्वीकृत राशि ₹170.17886 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख सत्रह हजार आठ सौ छियासी रु०) मात्र में से संलग्न तालिका के क्रमांक- 7 एवं 8 पर अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹38.20600 लाख (अड़तीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल-जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 193-नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2215021930102**, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) क्रमांक- 1 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना-2 तथा क्रमांक- 2 पर अंकित योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण,

4

लखीसराय द्वारा कराया जाएगा। शेष योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा कराया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 के पृष्ठ सं०-.....21...../टि० पर दिनांक-24-03-2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....21...../टि० पर दिनांक-26-03-2018 को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- लखीसराय, बाढ़, अरवल एवं दानापुर तथा नगर पंचायत, मुरलीगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten signature)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-02/2018 159 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-27-3-18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- लखीसराय, बाढ़, अरवल एवं दानापुर तथा नगर पंचायत, मुरलीगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, पटना- 2 एवं लखीसराय/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)

सरकार के विशेष सचिव।

(Handwritten signature)